

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 284 सन 2019

अनवान :-

1. कलो पत्नि कानाराम जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादीया

बनाम

1. मेधाराम पुत्र मधाराम जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर
2. भादरराम पुत्र मेधाराम जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
3. चावली पुत्री मूलाराम जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. हरिया पत्नी रामचन्द्र जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्र रामचन्द्र जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. साजनराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. रजीराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
8. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
9. अनिल पुत्र संतोष जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
10. सुमन पुत्री संतोष जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
11. माया पुत्री मेहन्द्र जरिये कुदरती माता कमला देवी पत्नी मेहन्द्र जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
12. रामकुमार पुत्र मेधाराम जाति मेधवावाल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
13. मैनेजर स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोरखाना तहसील नोहर।
14. मैनेजर ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमस शाखा नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी
निर्णय दिनांक 12/2/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 188 के अन्तर्गत वाद इस आशय का पेश किया की रोही मौजा भगवानसर के खाता संख्या 252/196 के खसरा न० 684 की 14.01 बीधा , खसरा न० 686 की 20.01 , खसरा न० 720 की 2.16 बीधा खसरा न० 722 की 15.00 बीधा खसरा न० 723 की 2.15 बीधा कुल 54.13 बीधा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें वादीया का 332-2/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 78-1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 का 194-3/14 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 140 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 182-1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 का 104-2/21 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 ता 10 का 26-1/42 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 78-1/14 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 12 का 78-1/14 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

वादीया ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल एवं उपजाऊ बना रखा है एवं अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करती आ रही है किन्तु मुश्तरका खाता होने से मुश्तरका खातेदारों को सीव लगान का तनाजा रहता है इसलिये वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से दर्ज करवाना चाहती है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा कि वादग्रस्त भूमि का खाता व लगान मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार अलग- 2 करवा लेवे तो आज कल आज करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर मुताबिक कब्जा काश्त खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 ,6 ,7 ता 11 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने पर उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ,5 ,12 की और से मदन मोहन अधिवक्ता उपस्थित आये किन्तु किसी


करने में सहमति पेश की गई वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्सा के अनुसार तजबीज तकसीम की रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नोहर के द्वारा अपने पत्रांक 2228 दिनांक 30.07.2019 को विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया।

वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार का ऐतराज ना कर उभयपक्षों के अधिवक्ता ने निवेदन किया की तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भूमि अलग अलग दर्ज करने के आदेश जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षों की सहमति के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कलो पत्नि कानाराम जाति मेधववाल साकिन देह खातेदार रहन रा.म.ग्रा. बैक शाखा नोहर मुर्त0 रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 720 की 0.708हैक बारानी खसरा न0 722 की 3.495हैक बारानी कुल 4.2030हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी एवं माया पुत्री महेन्द्र जरिये कुदरती माता कमलादेवी पत्नी महेन्द्र 78-1/14 हिस्सा, रामकुमार वल्द मेधाराम 78-1/14 हिस्सा, भादर वल्द मूलाराम 134-3/14 हिस्सा, चावली पुत्री मूलाराम 140 हिस्सा, हरिया पत्नि स्व रामचन्द्र 182-1/6 हिस्सा, कृष्ण साजनराम रजिराम पि0 रामचन्द्र सुमित्रा सुमन पुत्री सन्तोष 26-1/42 हिस्सा जाति मेधववाल साकिन देह खातेदार रहन भादरराम हिस्सा आरएमजीबी बिरकाली हरिया व कृष्णा हिस्सा ऑबीसी शाखा नोहर मुर्त रोही मौजा भगवानसर के खसरा न0 684/3.5540 बारानी, खसरा न0 686 की 5.0710हैक, 722/1 की 0.29900हैक बारानी, 723 की 0.696हैक कुल 9.6200हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री भवेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 186 सन 2018

अनवान :-

1. कलो पत्नि कानाराम जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादीया

बनाम

1. मेधाराम पुत्र मधाराम जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर
2. भादरराम पुत्र मेधाराम जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर ।
3. चावली पुत्री मूलाराम जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
4. हरिया पत्नी रामचन्द्र जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
5. कृष्णा पुत्र रामचन्द्र जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
6. साजनराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
7. रजीराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
8. सुमित्रा पुत्री रामचन्द्र जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
9. अनिल पुत्र संतोष जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
10. सुमन पुत्री संतोष जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
11. माया पुत्री महेन्द्र जरिये कुदरती माता कमला देवी पत्नी मेहेन्द्र जाति मेधवावल निवासी
भगवानसर तहसील नोहर।
12. रामकुमार पुत्र मेधाराम जाति मेधवावल निवासी भगवानसर तहसील नोहर।
13. मैनेजर स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोरखाना तहसील नोहर।
14. मैनेजर ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नोहर
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।


प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 284 सन 2018 निर्णय दिनांक 12/2/2020

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर आर०ए०एस० उपखण्डाधिकारी, नोहर के समक्ष अभिभाषक वादी / अधिवक्ता प्रतिवादी व परोकार राज की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होने के कारण वाद वादी तहसीलदार राजस्व नोहर के विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कलो पत्नि कानाराम जाति मेधवावल साकिन देह खातेदार रहन रा.म.ग्रा. बैंक शाखा नोहर मुर्त० रोही मौजा भगवानसर के खसरा न० 720 की 0.708हैक बारानी खसरा न० 722 की 3.495हैक बारानी कुल 4.2030हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी एवं माया पुत्री महेन्द्र जरिये कुदरती माता कमलादेवी पत्नी महेन्द्र 78-1/14 हिस्सा , रामकुमार वल्द मेधाराम 78-1/14 हिस्सा , भादर वल्द मूलाराम 134-3/14 हिस्सा, चावली पुत्री मूलाराम 140 हिस्सा , हरिया पत्नि स्व रामचन्द्र 182-1/6 हिस्सा , कृष्ण साजनराम रजिराम पि० रामचन्द्र सुमित्रा सुमन पुत्री सन्तोष 26-1/42 हिस्सा जाति मेधवावल साकिन देह खातेदार रहन भादरराम हिस्सा आरएमजीबी बिरकाली हरिया व कृष्णा हिस्सा ऑबीसी शाखा नोहर मुर्त रोही मौजा भगवानसर के खसरा न० 684/3.5540 बारानी, खसरा न० 686 की 5.0710हैक, 722/1 की 0.29900हैक बारानी 723 की 0.696हैक कुल 9.6200हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावे प्रकरण खाता विभाजन का होने के कारण ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)